स्वीड-पार्ट

State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand -1, Gomtinagar, Lucknow-226010.
Ph: 91-522-2300541, Fax: 91-522-2300543
email: doeuplko@yahoo.com

Ref: 570/SEAC/95/07

Date: 24-4-08

To,

Mr. N. Datta Gupta,
Addl. General Manager-Environment,
Unitech Limited,Unitech House
South City-I,GurGao-122001

Sub: Regarding Environmental Clearance of group housing project "Unitech Habitat", Plot No.-09, Sector PI-2,Alistonia Estate ,Greater Noida,U.P.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated April 11th, 2007 addressed to the Director (IA),Ministry of Environment and Forests, New Delhi on the subject as above which has been received by Member Secretary, State Environmental Impact Assessment Authority, UP as a result of issuance of EIA notification dated 14/09/06.

The State Level Environment Impact Assessment Authority based on the recommendations of the State Level Expert Committee has considered your application and has been given to understand that:

(1) The Environmental Clearance is sought by you for group housing project "Unitech Habitat", Plot No.-09, Sector PI-2,Alistonia Estate ,Greater Noida,U.P.
(2) Total plot area is 96137.05 sq. mt. The built up area is 233014.011 sq. mt.
(3) The proposed project comprises of 902 residential units in 19 towers. The project also proposes a community space, shopping center, nursery school, a swimming pool and nursing home.
(4) The project is covered under screening category 8"b".

Based on the recommendations of the State Level Expert Committee an environmental clearance to the project is hereby accorded subject to the effective implementation of the following conditions:

a. **General Conditions:**

1. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity with out the prior environmental clearance.
2. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent authority shall be obtained in this regards.
3. All trees felling in the project area shall be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent authority.
4. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
5. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
6. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.

7. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
8. Obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
9. Obtain necessary clearances from the competent authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
10. Hazardous/inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law, Necessary clearances in this regards shall be obtained.
11. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
12. Suitable rainwater harvesting systems as per designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
13. The emissions and effluents etc. from machines, Instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
14. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
15. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
16. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
17. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
18. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
19. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
20. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
21. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
22. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as for as possible.
23. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
24. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
25. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
26. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
27. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
28. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.

29. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
30. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
31. Prepare and present disaster management plan.
32. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
33. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalize by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
34. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
35. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
36. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology
37. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
38. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
39. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
40. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority of
41. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
42. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
43. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
44. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
45. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly ad submitted with justification.
46. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
47. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
48. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
49. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
50. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.

51. The location of the STP should be such that it is away from human habilitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
52. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
53. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
54. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North ,South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
55. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
56. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.

The Authority felt that necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and that if this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled. It should also be insured that approved plans and proposals as per provisions of para-3 of appendix-5 of the notification No S.O. 1533 dated 14/09/2006 are submitted with 03 months of the receipt of this letter failing which the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA notification, 2006 including amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14-09-06 issue by Govt. of India.

(Dr. C.S. Bhatt)
Member Secretary

Copy for necessary action to:
1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
3. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomtinagar, Lucknow.
4. Website Updation
5. Corresponding File.

(Dr. Yashpal Singh)
Secretary, SEAC and
Director, Environment Directorate
Govt. of Uttar Pradesh

Unitech Limited
Unitech House, South City-I
Gurgaon 122 007, Haryana, India
T +91 124 4125 200
F +91 124 2383332
www.unitechgroup.com

Regd. Office: 6, Community Centre, Saket,
New Delhi - 110017.
T +91 11 41664040

O/c.

Ref: UL/CR /MoEF-CRO/ Habitat-GH/Compliance/2905/2013

To,

Date: 29.05.2014

unitech

The Director,
Regional Office (Central Region),
Ministry of Environment & Forests,
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H
Aliganj, Lucknow-226024

The Member Secretary,
State Level Environment Impact Assessment Authority/UPPCB,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
3rd Floor, Picup Bhawan,
Gomtinagar, Lucknow

The Secretary, SEAC,
Directorate of Environment, U.P,
Dr.Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar,
Vineet Khand-I, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Subject: **Six monthly Compliance report (June, 2014) for monitoring of implementation status of Conditions laid down in Environmental Clearance letter issued from SEAC, U.P. for "Unitech Habitat" a Group Housing Project at Plot No. 09, Sector PI-02, Alistonia Estate, Greater Noida.**

Ref: **Environmental Clearance letter No. 570/SEAC/95/07 dated 24.04.08**

Respected Sir,

In reference to the condition of Environmental Clearance (EC) letter no EC. No. 570/SEAC/95/07 dated 24.04.08 received from SEIAA, UP. We would like to intimate you that due to the present unfavorable market scenario the construction are progressing at very slow pace and present construction status of the project is almost same as per the details given in the six monthly compliance report, December,2013 vide letter no. UL/CR /MoEF-CRO/ Habitat-GH/Compliance/0112/2013 Date: 01.12.2013.

Therefore, we are requesting you kindly consider the six monthly compliance report, December,2013 (vide letter no. UL/CR /MoEF-CRO/ Habitat-GH/Compliance/0112/2013 Date: 01.12.2013) as the latest status of the project for six monthly compliance of June, 2014. In this regard we would like to inform you further that the said project is in partial operational phase for which we have already obtained Consent to Operate certificate from Uttar Pradesh Pollution Control Board enclosed herewith for your ready reference.

We are committed to comply with the terms and conditions given in environmental clearance letter rigorously for the project as far as applicable and feasible of compliance.

Thanking you in anticipation,

Yours faithfully,

For Unitech Limited

29/05/2014

(Authorised Signatory)

Encl: As stated above

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा

संदर्भ सं० 4322/NOC-134/2007 दिनांक 14-2-2007

सेवा मे,

मै० यूनीटेक हैबीटेट(ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट),
प्लाट नं.९, सेक्टर-पाई-०२, अलिस्टेनिया एस्टेट,
ग्रेटर नोएडा।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन :

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक ६.१२.२००६ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती हैं।

1- अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा हैं :-

(क) स्थल : प्लाट नं.९, सेक्टर-पाई-०२, अलिस्टेनिया एस्टेट, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

(ख) उत्पादन : आवासीय भवन

(ग) मुख्य कच्चे माल : भवन निर्माण सामग्री

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : शून्य

(ड़) प्रयुक्त ईधन : डीजल-डी.जी.सैट हेतु आवश्यकतानुसार

(ग) मुख्य कच्चे माल :

उपयुक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम २ माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा करा दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्व बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती हैं।

4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ईकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

5- घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ....१०८० किलोलीटर/दिन.. से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।

6- प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ....१५.३.२००७....................... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. मैसर्स यूनीटेक हैबीटेट(ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट)प्लाट नं.९,सेक्टर-पाई-२,अलिस्येनिया एस्टेट,ग्रेटर नोएडा में केवल आवासीय भवनों का निर्माण किया जाये। इस हेतु प्रस्तावानुसार कुल क्षेत्र एवं बिल्टअप क्षेत्रफल से अधिक नही होगा।

८. उद्योग में प्रस्तावानुसार एस.टी.पी.का निर्माण डिसइन्फैक्शन यूनिट के साथ सीवेज जनित होने के पूर्व करें तथा यथा सम्भव शुद्धिकृत उत्प्रवाह का प्रयोग प्रस्तावानुसार ग्रीन बेल्ट एवं बागवानी में किया जाये।

९. उद्योग शुद्धिकरण व्यवस्थाओं के संचालन हेतु अलग से डी.जी.सैट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१०. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रस्तावानुसार किया जाये तथा बायोडिग्रेबिल वेस्ट के लिये वर्मी कल्चर किया जाये।

११. उद्योग में प्रस्तावित समस्त डीजल जनरेटर सैटे(४×१२५० के.वी.ए. एवं ४×१०१०के.वी.ए.)के ऐग्जास्ट के टाप पर बोर्ड मानकों के अनुरूप ऊँची चिमनी स्थापित की जाये तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में एकास्टिक इन्क्लोजर तथा कम्पनरोधी रबड पैड स्थापित किये जाये।

१२. परिसर में समुचित क्षमता का रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं पीजो मीटर स्थापित किया जाये।

१३. उद्योग नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पटिटका के रूप में विकसित करें।

१४. उद्योग पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन २००६ सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक १४.९.२००६ के अन्तर्गत सम्बन्धित से क्लीयरेन्स प्राप्त कर ही निर्माण कार्य आरम्भ करें। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम १९७४ एवं वायु अधिनियम १९८१ के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

१५. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त ३० सितम्बर से पूर्व पर्यावरण वक्तव्य आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपयुक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपयुक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्वन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक १५.३.२००७ तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अरापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

(पारस नाथ)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन सं० /एन०ओ०सी० तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1- मुख्य पर्यावरण अभियन्ता वृत-१, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
''पिकप भवन'' तृतीय तल, बी ब्लॉक, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

2- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र..

....

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय फोन : 2529157

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा, जनपद–गौतमबुद्ध नगर

संदर्भ संख्या 248/C(4-99)/2013 पंजीकृत

दिनांक 28/12/2013

मै0 यूनीटेक हैबीटेट(यूनीटेक लि0)
प्लाट नं.09,सेक्टर पाई 02,एलिस्टोनिया स्टेट,
ग्रेटर नोएडा

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक शून्य दिनांक 05–12–2013 के साथ संलग्न आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सर्शत सहमति आदेश पत्रांक 6-12/34/2013 दिनांक 28/12/2013 संलग्न हैं। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं0 1,2,6,7,8,9,10, पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा हैं।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। जल मीटर की मापी गई रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेंजे।

3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी नाच या कोई मापक यंत्र लगवायें, वी–नाच की मापी गई सूचनाये तथा कैलीब्रेशन चार्ट समय – समय पर प्रेषित करें।

4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण सयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

5. आपके उद्योग की ऑडिट की हुई वर्ष .... की बेलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनि जन (अचल सम्पति + वर्तमान सम्पति – वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रेषित करने की निर्देश दिये जाते हैं। जिससे की आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।

6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य हैं। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाये।

7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे की उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हों।

9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण कर जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपकर अधिनियम 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखता हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Utsav Sharma

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 संख्या................................ तद् दिनांक........................

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत एक) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, तृतीय तल, बी ब्लाक, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

(1)

~~क्षेत्रीय~~ कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा जनपद–गौतमबुद्ध नगर

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए

वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संख्या W-1234/2013 (सहमति/जल आदेश/ नोएडा, दिनांक 28/12/2013

विषयः यूनीटेक हैबीटेट(यूनीटेक लि0) प्लाट नं 09 सेक्टर पाई 02 एलिस्ट्रोनिया स्टेट ग्रेटर नोएडा को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतू सहमति।

संदर्भ : आवदेन पत्र संख्या शून्य दिनांक 05–12–2013

1. जल राशि या सीवर में भूमि पर वहिभाव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है कि अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में उपरोक्त को उसके परिवार से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक वहिःभाव के स्थानीय सरिता/नदी/कुएें/ में भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तो के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 01–01–2014 से 31–12–2015 के लिए मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संसोधित अधिनियम 1978 धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तो पर पुन/ विचार करने या संसोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

4.

संलगनक : अनुलग्नक

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा

सहमति आदेश सं0........................सहमति/ दिनांक.................का संलग्नक

सहमति शर्ते

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घन्टे में निस्तारण होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी³
(i) घरेलू....................................	750.0 के0एल0डी0	
(ii) औद्योगिक..	0.0 के0एल0डी0	
(अ) प्रकिया जल ब्लीड धोने से जल सहित....................................		
(ब) शीतलम जल		

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमुना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्टीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टेंक या अन्य शुद्धिकरण सयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानको के अनुरुप हो।

20° से0 पर 5 दिन की बी ओ0 डी0	30 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो।
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये की उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं0 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरुप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका नाम उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद संसाधनों के अनुरुप होनी चाहिए।

7. विश्लेवित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संवमित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्मित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढ़के, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX 15 व साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंकरीट के चेम्बर होने चाहिए। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह मापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दू से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण विन्दु में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।

पचकी ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये / बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण बक्ष बनवाये जाये।

11. इस शर्तो का विशेष रुप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक..................................या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।

12. बोर्ड से निर्गत सहमति की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या के साथ जरुर भेजें।

13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह से जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।

14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल की भली भांति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफ़ानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, को खुले ढेर न लगाया जाये।

15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भांति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।

(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव कि लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाये।
(ii) ज्वलनशील कार्वनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाय।

16. विषैले पदार्थो का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाय अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाये। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।

17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरुप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और या उपरोक्त पैरा 3 व 4 वर्णित मानकों का उल्लघंन हो तो बोर्ड को टेलीफोनिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाय।

18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख–रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी की टर्मिनल, मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जायें। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाये।

21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें। और/या इस सहमति आदेश की शर्तो का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।

22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदलें या परिवर्तन न करें।

23. उपरोक्त शर्ते जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।

24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से का 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दू के चालू होने और / या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।

25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य करायें।

27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म तक उत्प्रवाह से जाने वाली चैनल, सीवर ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोधिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।

28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारी) प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।

29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखनी हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

~~क्षेत्रीय~~ कैम्प कार्यालय

फोन : 2529157

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा, जनपद–गौतमबुद्ध नगर

संदर्भ संख्या 249/C/U-99/2013 पंजीकृत 28/12/2013

सेवा में

मै0 यूनीटेक हैबीटेट(यूनीटेक लि0)
प्लाट नं.09,सेक्टर पाई 02,एलिस्टोनिया स्टेट,
ग्रेटर नोएडा

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने पत्र दिनांक 05–12–2013 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और सशर्त सहमति आदेश संख्या .... सहमति (वायु) आदेश/ 6-12/37/2013 दिनांक 28/12/2013 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक/संख्या 1,6,7,8,11,12,13,14,15 जो नीचे वर्णित हैं, आकर्षित किया जा रहा है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. ....के0 वी0 ए0 क्षमता के डी0 जी0 सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई भूतल/भवन छत से ....मी0 ऊंचाई किया जाय।

3. फ्लू गैस प्रकिया उत्सर्जन तथा वायु गुणवता को अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के ....माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे..का प्राविधान, संचालन एवं रखाव इस प्रकार किया जाए, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप हों।

5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले–आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरुप रहें।

7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।

8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य हैं।

9. आपको उद्योग की आडिट की हुई नवीतम वैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति – वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।

10. ईधन का प्रयोग, उत्पादन प्रकिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।

11. आपको उपकर अधिनियम 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती हैं।

12. उद्योग का प्रत्येक वर्ष का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समयावधि 30 सितम्बर से पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

13. रूक टाप रेन वाटर हार्वेस्टिग एवं एवं पीजोमीटर की स्थापना की जायें।

14. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।

15. ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण हुतु डी0जी0 सेट पर एक्वास्टिव इन्क्लोजर स्थापित किया जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या................................../वायु प्रदूषण...............................तद् दिनांक........................

प्रतिलिपि :-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत एक) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, तृतीय तल, बी ब्लाक, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

~~क्षेत्रीय~~ केन्द्रीय कार्यालय फोन : 2529157

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा, जनपद–गौतमबुद्ध नगर

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 6-12/34/2013/सहमति/वायु आदेश/................................ नोएडा, दिनांक 28/12/2013

विषय : सहमति मै0 यूनीटेक हैबीटेट(यूनीटेक लि0) प्लाट नं. 09,सेक्टर पाई 02,एलिस्टोनिया स्टेट ग्रेटर नोएडा

वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा – 21/22 के अन्तर्गत

संदर्भ : आवेदन संख्या ....शून्य............... दिनांक.....05-12-2013

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्मित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 ....उपरोक्त.............. को अपने संबंधो से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता हैं।

2. यह सहमति दिनांक........01-01-2014.....से.........31-12-2015..........अवधि तक विधि मान्य है

3. इस सहमति आदेश में अंकित सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित हैं।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

4.

अनुलग्नक : संलग्नक

~~क्षे~~ क्षेत्रीय अधिकारी

केन्द्रीय (2)

~~क्षेत्रीय~~ कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

नोएडा

संलग्नक सहमति आदेश संख्या.....................................(सहमति (वायु) आदेश/...............................

दिनांक...............................

सहमति शर्तें

1. फ्लू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

	सम्बद्ध चिमनी
(i)डी0जी0सैट 380 के0वी0ए0	छततल से 4.0 मी0 ऊँची
(ii)	–
(iii)	–
(iv)	–
(v)	–

2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो :–

मानक संलग्न

		मिलोग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर
(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.)	
(ii)	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	
(iii)	हाइड्रोजन, सल्फर डाई आक्साइट सल्फेट मिन्ट	–
(iv)	सल्फर डाई आक्साइट	–
(v)	कार्बन मोनोआक्साइट	–
(vi)	हाइड्रोकार्बन	–
(vii)	अमोनिया	–
(viii)	फ्लोरिन	–
(ix)	मरकैप्टेन	–
(x)		–

3. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालको की मात्रा भी मानको के अनुरूप है।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में हीं हो।

5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप हीं उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों का कार्यरत स्थिति में ईकाई में रखा जाये।

7. इकाई परिक्षेप में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैफ का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।

8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैफ से हो रहे उत्सर्जन किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

9. (अ) उपरोक्त सदर्भित/सहमति शर्तो का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तो का अनुपालन की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा–29 से अधिक होना है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों की संदर्भित धारा–29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सुचित करना चाहिए।

11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाये।

12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उतसर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य आउट लैट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किया जाने में सम्बन्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

15. आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तो का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्ते अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।

17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि होने एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

18. बोर्ड के अधिकारियों के निरिक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।

20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डायरेक्टर्स, पार्टनर्स प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुन विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी